न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–769/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00525)

1. रामेश्वर पुत्र मगाराम, जाति जाट, निवासी कासिमपुरा, तहसील व जिला झुन्झनू राजस्थान।
2. शीशराम पुत्र श्री रामकुमार, जाति जाट निवासी कासिमपुरा, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. हरिराम पुत्र श्री मूलाराम, जाति जाट निवासी कासिमपुरा तहसील व जिला झुन्झनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री विजयपाल, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्दशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 15.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित पारित किया गया है क्योंकि पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एकपक्षीय है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने जमीन खसरा नम्बर 287, 288 व 289, 302, व 298 के सम्बन्ध में रिपोर्ट गलत पेश की है। जमीन खसरा नम्बर 286, 288, 289, 302, 298 में से मूलचन्द की ढाणी से मुख्य सड़क तक कभी कोई रास्ता अस्तित्व में नही रहा और ना कभी उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में से रास्ते हेतु भूमि उपयोग में आई। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को जो अभिशंषा भेजी है उसे देखने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता कि एक साईक्लोस्टाईल पत्र तैयार कर रखा है जिसमें जमीन के खसरा नम्बर इत्यादि दर्ज कर प्रस्तुत किया गया तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेस्पाडेन्ट को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा व रास्ते हेतु सर्वे की प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षरों के नीचे तारीख भिन्न–भिन्न दर्ज है और यह भी दर्ज नही है कि दोनों कर्मचारियों ने तथाकथित रास्ता का सर्वे भिन्न–भिन्न तारीख को किया हो।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 खेत खसरा नम्बर 287 तथा अपीलान्ट संख्या 2 खेत खसरा नम्बर 288 व अपीलान्ट संख्या 3 खेत खसरा नम्बर 289 के खातेदार/सहखातेदार है तथा खसरा नम्बर 286 के लिये उक्त अपीलान्ट के खेत में से कभी कोई रास्ता नही रहा है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कभी जानकारी नही हुई पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ न्यायालय की तरफ से अपीलान्ट के पास प्रकरण के सम्बन्ध में कभी कोई नोटिस नही दिया गया दिनांक 02.06.2020 को कुछ राजकीय कर्मचारी मौके पर आये और उन्होने यह कहा कि अपीलान्ट के खेत में से मनरेगा योजना के तहत रास्ता कायम किया जावेगा और उनके द्वारा यह बताया गया कि अपीलान्ट के खेत में से गैर मुमकिन रास्ते का अंकन हो चुका है इस पर अपीलान्ट ने जानकारी की तो दिनांक 09.06.2020 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई इस पर विधिक सलाह लेकर अपीलान्ट ने नकल के लिये दिनांक 10.06.2020 को आवेदन किया जो तैयार होकर दिनांक 11.06.2020 को मिली तथा दिनांक 13.06.2020 व 14.06.2020 को राजकीय अवकाश रहा इस प्रकार अपीलान्ट को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी नकल मिलने पर दिनांक 11.06.2020 को हुई और जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनज़र अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2016 को अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि ग्राम कासिमपुरा के मूलचन्द की ढाणी में मु. सड़क तक रास्ता जो खसरा नम्बर 286 लगायत 289, 302, 298 रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि के प्रस्ताव राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि चालू रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है जिसके संदर्भ में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा उक्त चालू रास्तों राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।